

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-1 / अ0प्र0-01-30 / 2025

173

/पटना, दिनांक 2-4-25

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में बेल्ट्रॉन से आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा के आधार पर कार्यरत सभी महिला कर्मियों को प्रत्येक माह में दो (02) दिनों का विशेष अवकाश अन्य नियमित महिला कर्मियों की भांति दिये जाने का निर्णय लिया जाता है।

2. यह विशेष अवकाश संविदा के आधार पर कार्यरत सभी महिला कर्मियों को प्रत्येक पंचांग वर्ष में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त देय होगा।

3. इस विशेष अवकाश की स्वीकृति की शक्ति आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी में निहित होगी।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1 / अ0प्र0-01-30 / 2025

3740

/पटना, दिनांक 2-4-25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख/अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी संयुक्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी अवर सचिव/सभी सहायक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी बेल्ट्रॉन से आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त संविदा महिला कर्मी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1 / अ0प्र0-01-30 / 2025

3740

/पटना, दिनांक 2-4-25

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव